30.05.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अदम कुमार झाझड़िया द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रा0-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। तहसीलदार सीकर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आ.ता. पेशी दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

30/6 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो। तामिलशुदा पेश। अप्रार्थी न. 1 के अलावा अन्य की निर्गत द्वारा इश्तहारी जवाब पेश।

16/7 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/8/25 को पेश है।

20/8 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/9/25 को पेश है।

18/9 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 19/9/25 को पेश हो। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त।

19/9 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. उभयपक्ष द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग लिखा जाकर अंतिम पत्रावली किया। पत्रावली रजिस्टर से गुमशुदा होकर गुमशुदा रजिस्टर, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज ही सुनाया जाय।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय में जमीन पर कब्जे दिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।